Fourteenth Loksabha

Session : 8
Date : 28-07-2006

Participants : Rawat Shri Bachi Singh

>

Title : Need to exempt Hydel Power Projects in Pithoragarh district of Uttaranchal from Forest Conservation Act, 1980 to initiate the work.

श्री बची सिंह रावत 'बचदा- (अल्मोड़ा) : माननीय सभापति जी, धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विाय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। लगभग 20 वां पहले एन.एच.पी.सी. द्वारा उत्तरांचल के सीमावर्ती जिला पिथौरागढ़ में दो परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं - गोरीगंगा नदी पर, मदकोट और धौलीगंगा नदी पर पर सोंबला फेज-II। इन दोनों परियोजनाएं के कार्यान्वयन में 1980 के वन संरक्षण अधिनियम और इस पूरे क्षेत्र को कस्तूरी मृगविहार बन जाने के कारण रुकावट आई, लेकिन अब बोटेनीकल सर्वे ऑफ इंडिया और जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के बाद और सुप्रीम कोर्ट की टास्क फोर्स से क्लियरेंस मिल जाने के बाद, इसमें सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। यह देश के भीतर ऊर्जा के उत्पादन के लिए और स्थानीय लोगों के रोजगार के लिए, दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब ये सारी बाधाएं दूर हो गई हैं और लगभग हर तरफ से अनापत्ति मिल गई है तो मेरा केन्द्र सरकार से विशेा आग्रह है कि राट्रहित से जुड़े हुए इस विाय में, जिसमें कि भारी मात्रा में विद्युत का उत्पादन भी होगा और रोजगार भी मिलेगा, इसलिए तत्काल स्वीकृति प्रदान की जाए और एन.एच.पी.सी. को निर्देश दिए जाएं कि वह इन योजनाओं के निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करे।